सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 04/2021

1. मोहन लाल पुत्र श्री लेखराज जाति अरोड़ा निवासी चक 9 एफ.(ए) माझीवाला तहसील श्रीकरणपुर
2. मदन लाल पुत्र श्री लेखराज जाति अरोड़ा निवासी चक 9 एफ.(ए) माझीवाला तहसील श्रीकरणपुर

अपीलांटस

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।
2. श्रीमती सोमा रानी पत्नी स्व0 श्री सगन लाल जाति अरोड़ा निवासी 65 एफ ब्लॉक, श्री गंगानगर।
3. श्रीमती सरोज पत्नी श्री मुरारी लाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड सं0 9, कच्ची खेड़ी, श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार (भू–अभिलेख) करणपुर दिनांक 06–08–2020

उपस्थित : 1. श्री श्री ओम प्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलांटस
2. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा, अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

आदेश **दिनांक : 18.11.2021**

अपीलांटस द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस के खिलाफ अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि कृषि भूमि चक 9 एफ.(ए) के खाता संख्या 75/77 के मु. नं. 16 के कि0 नं0 11/2 की 0.126 है0 व कि0 नं0 16 ता 25 सालम कुल 2.656 है0 रकबा तदानुसार 10 बीघा 10 बिस्वा नहरी रेस्पोडेन्टस की माता साहबदेवी पत्नी स्व0 श्री लेखराज की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। श्रीमती साहबदेवी का देहान्त दिनांक 16–5–20 को हो गया हैं एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 जो कि अपीलार्थीगण की सगी बहिन है, ने दिनांक 3–7–20 को स्व0 श्रीमती साहबदेवी के द्वारा स्वंय के पक्ष में कथित रूप से निष्पादित वसीयत दिनांक 11–06–20 के आधार पर रेस्पो0 सं0 1 के समक्ष उपरोक्त भूमि का स्वंय के नाम से इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

दिया और रेस्पो0 सं0 1 के द्वारा स्व0 श्रीमती साहबदेवी के वारिसान को सुने बिना दिनांक 6–8–20 को उपरोक्त भूमि का इंतकाल श्रीमती सोमारानी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दे दिये गये। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व भू राजस्व (भू अभिलेख) नियमावली के नियम 131 की पालना नहीं की गई है। कथित वसीयत अपंजीकृत होने के कारण उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत इस दस्तावेज का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु विधिसम्मंत् तरीके से नोटिस जारी नहीं किया गया है बल्कि सीधे ही स्थानीय समाचार पत्र सीमा सन्देश में आपतियॉ आमन्त्रित की गई हैं। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के द्वारा कथित वसीयत के संबंध में न तो विधि के अन्तर्गत कोई जॉच नहीं की गई है। भारतीय उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वसीयत को प्रमाणित किये जाने के प्रावधान प्रदत्त हैं। वसीयत जैसे प्रकरणों में गवाहान से जिरह किए बिना कोई निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता था। अपीलार्थीगण की माता स्व0 श्रीमती साहबदेवी काफी बिमार थी और इलाज के लिए श्री गंगानगर अपीलार्थीगण की बहिन रेस्पो0 सं0 2 के घर जैरइलाज थी एवं दिनांक 16–6–20 को उसका देहान्त हो गया और कथित वसीयत दिनांक 11–6–20 अर्थात् पॉच दिन पूर्व की बतलाई गई है जो स्वंय में संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में संज्ञान लेने से पूर्व समस्त वारिसान को सुना जाना और वसीयत की विधि के प्रावधानों के अनुसार जॉच किया जाना आवश्यक था। रेस्पो0 सं0 1 का अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण और विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण पोषणीय नहीं है । इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व भू राजस्व (भू अभिलेख) नियमावली के नियम 131 की पालना नहीं की गई है। कथित वसीयत अपंजीकृत होने के कारण उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत इस दस्तावेज का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु विधिसम्मत् तरीके से नोटिस जारी नहीं किया गया है बल्कि सीधे ही स्थानीय समाचार पत्र सीमा सन्देश में आपतियॉ आमन्त्रित की गई हैं। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के द्वारा कथित वसीयत के संबंध में न तो विधि के अन्तर्गत कोई जॉच नहीं की गई है। भारतीय उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वसीयत को प्रमाणित किये जाने के प्रावधान प्रदत्त हैं। वसीयत जैसे प्रकरणों में गवाहान से जिरह पूर्व कोई निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता था। अपीलार्थीगण की माता स्व0 श्रीमती साहबदेवी काफी बिमार थी और इलाज के लिए श्री गंगानगर अपीलार्थीगण की बहिन रेस्पो0 सं0 2 के घर जैरइलाज थी एवं दिनांक 16–6–20 को उसका

देहान्त हो गया और कथित वसीयत दिनांक 11–6–20 अर्थात् पॉच दिन पूर्व की बतलाई गई है जो स्वंय में संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में संज्ञान लेने से पूर्व समस्त वारिसान को सुना जाना और वसीयत की विधि के प्रावधानों के अनुसार जॉच किया जाना आवश्यक था। रेस्पो0 सं0 1 का अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण और विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण पोषणीय नहीं है । इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे। अपने तर्को के समर्थन में वकील अपीलार्थीगण ने आर आर डी नवम्बर,2004 पेज 722, आर आर टी 2017(2) पेज 1279, आर आर डी – 14.8.13 पेज 575, आर आर टी 2008(1) पेज 546, आर आर डी 14–11–20 पेज 765, आर आर डी1998 पेज 370, आर आर डी नवम्बर, 2004 पेज 727, आर आर डी 2007 नवम्बर, 2007 पेज 832 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि वसीयत के अपंजीकृत होने से अपील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि वारिसान या वसीयत है तो इंतकाल वसीयत के आधार पर करना चाहिये। वास्तविक उतराधिकारियों को छोड़ना वसीयत को सन्देहास्पद नहीं बनाता है। वसीयत के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। अंतिम वसीयत मान्य होगी। अपने तर्को के समर्थन में डीएनजे 2011 एस0सी0 पेज 1058, आर आर डी 2016 पेज 14, डी एन जे 2020 एस0सी0 पेज 452, आर आर डी 194 पेज 391, आर बी जे 1997 पेज 308 एवं ए0 आई0 आर0 1995 एस0सी0 पेज 2491 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं। अपीलाधीन आदेश के विरूद्व जो एतराजात वकील अपीलार्थीगण ने उठाए हैं, वे नियमित वाद में ही उठाए जा सकते हैं। अपने इस तर्क के समर्थन में डी एन जे 2019 (रेवन्यू) पेज 22 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है इसलिए अपील अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत् रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थीगण का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु विधिसम्मत् तरीके से नोटिस जारी नहीं किये गये है बल्कि सीधे ही स्थानीय समाचार पत्र सीमा सन्देश में आपतियॉ आमन्त्रित की गई हैं। इस तर्क का खण्डन करते हुए रेस्पो0 के अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व समाचार पत्र के माध्यम से अपीलार्थीगण को विधिवत् सूचना दी गई है। बाद सूचना उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन

अतिरिक्त जिला कलक्टर। सतर्कता
श्रीगंगानगर

किया गया तो पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम पेशी 3–7–2020 को ही वसीयतानुसार इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के संबंध में सीधे ही स्थानीय समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन करवाया है जबकि सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। प्रथम बार सम्मन जारी होने चाहिये थे, द्वितीय रजिस्टर्ड नोटिस एवं तृतीय समाचार पत्र द्वारा तामील करवाये जाने के प्रावधान हैं। विधिसम्मत् तामील की प्रकिया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं अपनाई गई है। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने कहा है कि समाचार पत्र स्थानीय है जो अपीलार्थीगण के निवास क्षेत्र तक नहीं पहुँचता है तथा न ही उनके द्वारा ऐसा समाचार पढा है। वकील अपीलार्थीगण द्वारा अपने उक्त तर्क के समर्थन में आर आर डी नवम्बर, 2004 पेज – 727 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निर्विवादित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु विधि अनुसार तामील की प्रकिया नहीं अपनाई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथित वसीयत के संबंध में कोई जॉच नहीं की गई है। संज्ञान लेने से पूर्व समस्त वारिसान को सुना जाना आवश्यक था। उक्त तर्क का खण्डन करते हुए वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि यदि वारिसान या वसीयत है तो इंतकाल वसीयत के आधार पर करना चाहिये। वास्तविक उतराधिकारियों को छोड़ना वसीयत को सन्देहास्पद नहीं बनता है। वसीयत के पंजीयन होने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम वसीयत ही मान्य होगी। अपने उपरोक्त तर्को के समर्थन में आर आर डी 2016 पेज 14, आर आर डी 1984 पेज 391, आर बी जे 1997 पेज 308 एवं ए0 आई0 आर0 1995 एस0सी0 पेज 2491 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी के गवाहान से अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गई है क्योंकि अप्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार विधिसम्मत् सूचना न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है।

सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 5 में समनों का निकाला जाना और उनकी तामील की विस्तृत व्यवस्था की गई है। आदेश 5 की उपधारा 5,9,,9क,10 से 21 तक तामील के संबंध में है। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 के अनुसार प्रथमतः सामान्य सम्मन द्वारा तामील करवाई जायेगी और उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक सम्मन के साथ दावे की प्रति संलग्न की जायेगी। सम्मन की तामील हो जाने के उपरांत उपस्थित न आने पर वादी के अधिवक्ता के निवेदन पर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जायेगा। अंतिम विकल्प के रूप में समाचार पत्र के माध्यम से तामील करवाई जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम पेशी पर ही समाचार पत्र में सूचना के प्रकाशन का आदेश पारित करने में सिविल प्रकिया संहिता

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

के आदेश 5 का उल्लघंन किया है। अपीलाधीन आदेश से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटास को न तो विधिवत नोटिस के साथ विरासतन इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र की प्रति को संलग्न किया गया है और न ही सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया है जबकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु विधिसम्मत् कार्यवाही कर दोनों पक्षों को सुनकर तत्पश्चात् निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः मेरे विन्रम मत में प्रकरण पुनः विधिवत् सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–8–20 को निरस्त किया जाता हैं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30–11–21 को उपस्थित हों।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतकर्ता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर